भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3417

दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता

3417. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति की "देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कई विषयगत क्षेत्रों में प्रमुख सिफारिशें दी गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता: वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- भारत में मेडिकल कॉलेजों और सीटें
- मेडिकल कॉलेजों के आवंटन में असंतुलन
- मौजूदा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकताओं के लिए इसकी प्रासंगिकता, परिवर्तन की आवश्यकता
- अनुसंधान सहायता और सुविधाएं
- चिकित्सा शिक्षा की वहनीयता
- संकाय की योग्यता और क्षमता
- मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग और मान्यता

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) संसद के अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा मानकों का अनुरक्षण विनियम, 2023 (एमएसएमईआर 2023) के अनुसार देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (पीजीएमईआर 2023) के अंतर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) ने इनमें कई उपाय लागू किए हैं। जिला रेजीडेंसी कार्यक्रमों और परीक्षा/मूल्यांकन मानदंडों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिसूचना; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए नैदानिक कार्यभार, संकाय-छात्र अनुपात और बिस्तर/संकाय संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण; और वार्षिक मूल्यांकन, शास्ति लगाने और अपील तंत्र के प्रावधान के माध्यम से मानकों को बनाए रखने शामिल।

इसके अतिरिक्त, देश में चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

i केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत कर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जिसके अंतर्गत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों में से 139 नए मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

ii एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने/उन्नयन करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना।

iii प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएमएसवाई) में "सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर आदि के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" से संबंधित एक घटक है। इस घटक के अंतर्गत 75 परियोजनाओं में से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। नए एम्स की स्थापना एक अन्य घटक है, जिसके तहत 22 एम्स को अनुमोदन दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या, स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों में वृद्धि की है। वर्ष 2014 से आज तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 844 हो गई है; स्नातक सीटें 51,348 से बढ़कर 1,39,489 हो गई हैं और स्नातकोत्तर सीटें 31,185 से बढ़कर 86,360 हो गई हैं।
